

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नं. 2 – डॉ. जितेन्द्र सिंह ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्र्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7001/17/22]

(2) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 48 के अंतर्गत भारत के लोकपाल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7002/17/22]

(4) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति परिलाभ) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 177(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 178(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 179(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 180(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षाधीनों की अंतिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 181(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 182(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 183(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 184(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 185(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 186(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 187(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 188(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 189(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 190(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षाधीनों की अंतिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 190(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7003/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल महोदय, श्री फगन सिंह कुलस्ते की ओर से, मैं मेकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2022 के लिए हुए समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 7004/17/22]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) संशोधन विनियम,

2022 जो 16 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/11/2021 में प्रकाशित हुए, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 7005/17/2]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दान रावसाहेब दादाराव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) रेल सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) रेल सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7006/17/22]

- (3) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7007/17/22]

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7008/17/22]

- (6) (एक) एनआरटीयू फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एनआरटीयू फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7009/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):
महोदय, श्री पंकज चौधरी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2021 का प्रतिवेदन संख्या 25) - मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आयुध निर्माणियां और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

[Placed in Library, See No. LT 7010/17/22]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- वर्ष 2019-2020 (01.04.2019 से 30.10.2019) के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जम्मू-कश्मीर सरकार) (2021 का प्रतिवेदन संख्या 3)।

[Placed in Library, See No. LT 7011/17/22]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य, आर्थिक और राजस्व क्षेत्रों की अनुपालन लेखापरीक्षा पर जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्या 4)।

[Placed in Library, See No. LT 7012/17/22]

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- 31 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के लिए संघ राज्यक्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन) (2022 का प्रतिवेदन संख्या 1)।

[Placed in Library, See No. LT 7013/17/22]

- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जम्मू-कश्मीर सरकार- वर्ष 2019-2020 (1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019) के लिए वित्त लेखा खंड-एक।

[Placed in Library, See No. LT 7014/17/22]

(दो) जम्मू-कश्मीर सरकार- वर्ष 2019-2020 (1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019) के लिए वित्त लेखा खंड-दो।

[Placed in Library, See No. LT 7015/17/22]

(तीन) जम्मू-कश्मीर सरकार- वर्ष 2019-2020 (1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019) के लिए विनियोग लेखा।

[Placed in Library, See No. LT 7016/17/22]

(चार) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन- वर्ष 2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के लिए वित्त लेखा खंड-एक।

[Placed in Library, See No. LT 7017/17/22]

(पांच) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन- वर्ष 2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के लिए वित्त लेखा खंड-दो।

[Placed in Library, See No. LT 7018/17/22]

(छह) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन- वर्ष 2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के लिए विनियोग लेखा।

[Placed in Library, See No. LT 7019/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAJ JARDOSH): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Textiles Committee, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Textiles Committee, Mumbai, for the year 2018-2019.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay

in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7020/17/22]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ahmedabad Textile Industry's Research Association, Ahmedabad, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ahmedabad Textile Industry's Research Association, Ahmedabad, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 7021/17/22]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub- Section 13B of the Central Silk Board Act, 1948:-

- (i) S.O.610(E) published in Gazette of India dated 11th February, 2022 notifying the nomination of following Officers, mentioned therein, to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this Notification.
- (ii) S.O.611(E) published in Gazette of India dated 11th February, 2022 notifying the nomination of the Joint Secretary (Silk), Ministry of Textiles, Government of India, New Delhi to serve as a member of the Central Silk Board for a period of three years with effect from 26.02.2022, subject to the provisions of this Act.
- (iii) S.O.293(E) published in Gazette of India dated 21st January, 2022 notifying the nomination of the members of Rajya Sabha having been duly elected to be Member of the Central Silk Board for a period of three years w.e.f. 22.12.2021 or till completion of their term in Rajya Sabha, whichever is earlier, subject to other provisions of the Act.
- (iv) S.O.5158(E) published in Gazette of India dated 13th December, 2021 making certain amendment in Notification No. S.O.4589(E) dated 20th December, 2019.
- (v) S.O.2984(E) published in Gazette of India dated 28th July, 2021 notifying the nomination of the persons, mentioned therein, to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act.
- (vi) S.O.4990(E) published in Gazette of India dated 6th December, 2021 notifying the nomination of the persons, mentioned therein, to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act.
- (vii) The Central Silk Board Silk-worm Seed (Amendment) Regulations, 2021 published in Notification No. G.S.R.861(E) in Gazette of India dated 16th December, 2021.

- (5) Four statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (iv) to (vii) of (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 7022/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(SHRI SOM PRAKASH): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2020-2021.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7023/17/22]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited, Jammu, for the year 2019-2020.
- (ii) Annual Report of the Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited, Jammu, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 7024/17/22]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवसिंह चौहान): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रख रहा हूँ:-

- (1) (एक) इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7025/17/22]
